भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 974

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

राज्य सरकारों को आकस्मिक निधि

974. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यों के जिलाधिकारियों के उपयोग हेतु राज्य सरकारों को आकस्मिक निधि प्रदान करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के लिए कितनी राशि जारी की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) : जी नहीं। हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है। उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के अधीन रखी जाती है ताकि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सके।

(ख) : उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****